No 0919??

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

2003-200

संख्या 1729

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री एडुकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख ...... मास ...... वर्ष ...... को पटना में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना

पत्र संख्या–डी०एस०आर० 3–..........16/............/

निबन्धन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना

(रजिस्टर करने का प्रमाण-पत्र)

श्री एडुकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी

[illegible]

पटना, दिनांक– [illegible]/

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सोसाइटी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,1860 के उपबन्धों के अनुसार आज यथावत् रजिस्टर/निबन्धित/अभिलिखित किया गया / किये गये ।

फीस का भुगतान 50/– (पचास) रुपये केवल ।

संस्था का स्मृति पत्र / नियमावली एवं कार्यसमिति के प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

वास्ते– महानिरीक्षक निबन्धन, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सचिव

श्री एडुकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी

ग्राम + पो० – हिसार

जिला – मधुबनी ।

को सेवा में उनके पत्र संख्या— दिनांक— के प्रसंग में अग्रसारित ।

निबन्धन प्रमाण पत्र संलग्न है । प्राप्ति की सूचना दें ।

वास्ते– महानिरीक्षक निबन्धन, बिहार, पटना ।

निबन्धन विभाग | पुराना सचिवालय | बिहार, पटना

/Annex

पत्रांक : 342

प्रेषक : डा० महेश प्रसाद सिंह
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,
श्री हसन वारिस
उप–निदेशक (मा०शि०)
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना।

मधुबनी, दिनांक 25-1-2008 ई०।

विषय :– **सी0एम0पी0 उच्च विद्यालय, हिसार, मधुबनी का निरीक्षण प्रतिवेदन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्रांक 506 दिनांक 25.06.2007 के प्रसंग में सी0एम0पी0 उच्च विद्यालय, हिसार का निरीक्षण किया, जो निम्न प्रकार है :–

यह विद्यालय एडुकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर सोसाईटी के अन्तर्गत संचालित है। इस सोसाईटी में किसी व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है तथा इसके प्रत्येक सदस्य आपस में एक दूसरे के संबंधी नहीं हैं। सोसाईटी सम्बन्धी अभिलेख की छायाप्रति एवं शपथ पत्र के माध्यम से प्रत्येक सदस्य का पूरा पता, व्यवसाय आदि की घोषणा सम्बन्धी छायाप्रति सहज अवलोकनार्थ इसके साथ संलग्न की जा रही है।

विद्यालय के सचिव द्वारा यह भी शपथ पत्र दिया गया है कि यह विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसाईटी/न्यास से फ्रेन्चाईज के रूप में स्थापित नहीं होगी तथा विद्यालय किसी अन्य सोसाईटी/ट्रस्ट/संस्था द्वारा संचालित विद्यालय के ब्राण्ड/नाम का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा। सहज अवलोकनार्थ शपथ पत्र की छायाप्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है।

इस विद्यालय को निबंधन (निबंधित केवाला) के माध्यम से दो एकड़ भूमि उपलब्ध है तथा उसी भूमि पर विद्यालय का भवन निर्मित है। इस जमीन पर विद्यालय का दखल कब्जा है और अद्यतन रसीद कटती है। अंचल अधिकारी झंझारपुर लखनौर ने भी इस जमीन पर विद्यालय के दखल कब्जा होने का प्रमाण पत्र दिया है। प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी एवं रसीद की फोटो कॉपी अवलोकनार्थ संलग्न की जाती है। भूमि संबंधी दस्तावेज की फोटो कॉपी संलग्न की जा रही है। विद्यालय के भवनों में कमरों का आकार एवं इसकी संख्या निम्नवत् है :–

	फीट फीट	संख्या
वर्ग कक्ष	25" X 20	10
स्टाफ रूम	30" X 25	01
कौमन रूम	30" X 25	01
सभा कक्ष	88" X 50	01
प्राचार्य कक्ष	30" X 25	01
पुस्तकालय	25" X 20	01
प्रयोगशाला	25" X 20	01
वर्ग कक्ष	21" X 16	02
		18

Principal
CMP School, Hissar

जाँच के क्रम में विद्यालय मे पर्याप्त उपस्कर, एक सुसज्जित पुस्तकालय तथा आवश्यकतानुसार एक प्रयोगशाला भी पाया गया।

इस विद्यालय में कुल तेरह शिक्षक–शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं जिसमें 07 शिक्षक प्रशिक्षित हैं। जाँच के क्रम में उक्त सभी शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप विज्ञापन निकालकर किए जाने सम्बन्धी साक्ष्य उपलब्ध हुए। (विद्यालय द्वारा दिए गए शिक्षकों की सूची तथा विज्ञापन की छायाप्रति संलग्न)

जाँच के क्रम में विद्यालय के रूटीन की समीक्षा की गई जिससे यह स्पष्ट हुआ कि विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई, अंग्रेजी, संस्कृत तथा उर्दू भाषा के साथ ही अनिवार्य रूप से की जाती है।

विद्यालय के सचिव द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि विद्यालय द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्क, अन्य प्रकार के शुल्क वार्षिक लेखा, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन हर वर्ष सत्र चालू होने के पूर्व, सूचना पट पर चिपकाया जायेगा तथा उसे शिक्षकों, अभिभावकों की बैठक में प्रस्तुत किया जायगा (शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

अपेक्षित शर्तें :–

विद्यालय के सचिव द्वारा यह भी शपथ पत्र दिया गया कि विद्यालय को मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–238 दिनांक 03.04.06 के अपेक्षित शर्तों की कण्डिका 7, 8, 9 एवं 10 पूर्ण रूप से स्वीकार्य है।

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि यह विद्यालय विभागीय अधिसूचना सं0 238 दि0 03.04.06 में उल्लिखित मापदण्डों को पूरा करता है।

अतः सी0एम0पी0 उच्च विद्यालय, हिसार, ग्राम+पो0–हिसार, जिला–मधुबनी को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु इस स्तर से अनुशंसा की जाती है।

ह0/- 25.1.08
जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधुबनी।
25/01/08

Principal
CMP School, Hissar

(4)

/Bihar Education Project
Jagat Lal Mishra Complex
Rahika Road, Sapta,
Madhubani- 847214

बिहार शिक्षा परियोजना
जगत लाल मिश्रा कम्पलेक्स (सूर्य कला भवन),
रहिका रोड, सप्ता
मधुबनी –847214

पत्रांक AIE 2683...../

प्रपत्र –2

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान,
मधुबनी।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
सी0 एम0 पी0 पब्लिक स्कूल,
हिसार, हरलाखी।

मधुबनी, दिनांक 09/09/2020./

विषय :– **बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण–पत्र के संबंध में।**

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक **16.07.2020** और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय **सी0 एम0 पी0 पब्लिक स्कूल, हिसार प्रखंड– हरलाखी** को कक्षा एक से आठ तक संचालन हेतु तीन वर्षों **2020–21** से **2022–23** अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति नवीकरण प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति नवीकरण निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :–

1. प्रस्वीकृति नवीकरण किसी भी परिस्थिति में कक्षा आठ तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य, प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. **विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएंगे :–**
   - I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   - II. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
   - III. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशन किया

VI. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 05 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

VII. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

VIII. शिक्षक निजी –स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल –	**55 कट्ठा**
कुल निर्मित क्षेत्र –	**15 कट्ठा**
खेल के मैदान का क्षेत्र –	**30 कट्ठा**
वर्ग कक्षों की कुल संख्या –	**15**
प्रधानाध्यापक–सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्ष –	**01**
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय –	**बालक–4 एवं बालिका–3**
पेयजल की सुविधा –	**06**
मध्याह्न भोजन के लिए रसोईघर –	**01**
बाधारहित पहूँच –	**हाँ**
शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल–कूद उपकरण / पुस्तकालय –	**हाँ**

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत नवीकरण कोड संख्या – **06 / 2013–14** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा समय–समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

Huhud
01/01/2020

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

Annexure-

(5)

.K.A.Vats
B.Arch, MURP, Ph.D.(P)
(COA, ITPI, IIA Member)
Panel Architect and Valuer,
U.D.Department Bihar.

VATS VASTUk
(Architect, Planner, Valuer)
(Dwelling Brand of Sunlight Appt)
S.K.Puri, Patna
BIHAR -800001, INDIA

Ref. No. 1943/Sch/3

Date: 21.10.2017

To Whom It May Concern

This is to certify that the Buildings of C.M.P. School, Hissar, Madhubani (Bihar), have been constructed by drawings and specifications given by engineer-in-charge as per planning norms.

The campus consists of four building blocks having area 4784 Sqft, 4300 Sqft, 1764 Sqft, 2300 Sqft and Khata, Khesra nos. are 1733-1735 and 1208-1780 respectively.

The whole space is bounded by boundary walls and it is also complied with all fire and other safety means.

Registered Architect
ARCHITECT
Engineer/Architect
Nagar Parishad

Principal
CMP School, Hissar

MANAGER
C.M.P. SCHOOL, HISSAR
RAJIV PRATIHAST

भवनों का अग्नि सुरक्षा जाँच प्रपत्र।

01. भवन का नाम एवं पूरा पता :- C.M.P School Hisaan Benipatti (madhubani)
02. रोड/गली बेनीपट्टी एकमी रोड
03. भवन के समीप कोई ऐसा चिन्हित भवन जो मशहूर हो का नाम दुर्गा मंदिर
04. भवन के सामने रोड की चौड़ाई :- 22'
05. भवन के सामने रोड सरकारी है या निजी :- सरकारी
06. भवन का प्रकार (जि0+जी0+2,जी0+4..........) :- G+1
07. भवन का व्यवहार अर्थात (रेसिडेन्सियल/कमर्शियल/हॉस्पिटल आदि) :- Commercial
08. भवन कब का बना हुआ है :- 1996
09. भवन निर्माण के पूर्व नक्शा में अग्निशमन विभाग से सलाह लिया गया है या नहीं :- ✗
10. भवन निर्माण के बाद अग्निशमन अधिनियम, 2014 के अध्याय 6 NBC पार्ट-4 एवं बिल्डिंग बायलॉज, 2014 के नक्शा सलाह के अनुरूप निर्माणाधीन भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है या नहीं :- ✗
11. भवन के ऊपर किसी प्रकार के बिजली का तार गुजरा है या नहीं :- ✗
12. भवन से विद्युत लाईन की दूरी कितनी है :- 100 मीटर
13. भवन में अग्निशमन उपकरणों को कंडिका 9 के सलाह के अनुरूप चिन्हित स्थानों में लगाया गया है या नहीं :- हाँ
14. भवन में अग्निशमन व्यवस्था किया गया है या नहीं :- हाँ।

- फायर एक्सटिंग्युसर(उसका प्रकार एवं क्षमता) प्रत्येक तल :- ग्राउंड फ्लोर पर 05 अदद ABC 6 kg का, तथा प्रथम फ्लोर पर ABC-05 अदद 06 kg का तथा CO2 01 अदद 4.5 kg का कार्यालय में।
- होस रील :- ✗
- डाउन कमर सिस्टम :- ✗
- वेट राइजर सिस्टम :- ✗
- फायर अलार्म सिस्टम :- ✗ हाँ
- ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम :- ✗
- स्प्रींकलर सिस्टम :- ✗
- अन्डर ग्राउंड वाटर स्टैटिक टैंक(क्षमता सहित) ✗
- ओवर हेड वाटर टैंक(क्षमता सहित) :- 6000 लीटर
- यार्ड हाईड्रेंट :- ✗
- ओवर हेड वाटर टैंक के पास पम्प की क्षमता :- ✗
- भवन में सिढ़ी की संख्या :- 04 अदद
- स्मोक डिटेक्शन सिस्टम :- ✗
- भवन में लिफ्ट की संख्या :- ✗
- एक से अधिक लिफ्ट होने पर किसी लिफ्ट में फायर मैन स्विच है अथवा नहीं :- ✗
- सियामिस कनेक्शन :- ✗
- क्या लिफ्ट के बेसमेन्ट है या नहीं :- ✗
- क्या बेसमेन्ट की सिढ़ी ऊपर के मंजिलों तक गई है :- ✗
- भवन में सिग्नेज तथा (EXIT साईन आदि) है या नहीं :- हाँ
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम :- हाँ।
- फायर कंट्रोल रूम :- ✗
- वैकल्पिक विद्युत की व्यवस्था :- हाँ
- वेट राईजर सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पम्प की क्षमता :- ✗
- [illegible]

* जॉकी पम्प की क्षमता :- ✗
* भवन में एयरकंडिशन की व्यवस्था है तो कैसा :- ✗
* (स्प्लिट / विन्डो / सेन्ट्रलाईज ए०सी०) :-
* फायर डैम्पर की व्यवस्था : ✗
* प्रत्येक फ्लोर पर हाईड्रेंट की स्थिति :- ✗
* होज बॉक्स :- ✗
* होज बॉक्स में होज की लम्बाई एवं संख्या :- ✗
* होज बॉक्स में इन्टरचेन्जेबल ब्रांच नोजल के साथ ✗
* भवन में किसी ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ का भंडारण :- ✗
* भवन अगर होटल श्रेणी का है तो इनमें एल० पी० जी० बैंक कहाँ बना हुआ है :- ✗
* भवन में काम करने वाले/रहने वाले कर्मी अग्निशमन व्यवस्था से परिचय है या नहीं तथा उसे चलाना जानते है या नहीं/ कभी मॉक ड्रील हुआ है या नहीं :- हाँ
* भवन निर्माण से पूर्व नक्शा में दिये गये सलाह का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं

15 जाँच पदाधिकारी का मंतव्य :- दिनांक 08-03-2021 को [illegible]

[illegible]

8-3-2021

CMP SCHOOL HISSAR

अग्निशामालय पदाधिकारी
बेनीपट्टी, मधुबनी

Annexu

PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. 256/17
Date : 15/06/2017

It is certified that an inspection team headed by undersigned (Name of Officers with designation) from Gram Panchayat (Name of Department/Office) inspected the CMP School, Hissar, Benipatti, Madhubani (Name & Address of the School) on 12/06/2017 and found that the CMP School, Hissar (Name of school) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per the norms prescribed by the Central/State/U.T Govt.

The above valid for a period of 5 years.

मुखिया
ग्राम पंचायत राज हिसार
प्रखंड-बेनीपट्टी (मधुबनी)

Signature with Seal :
Name : Kavita Pandey
Designation : Mukhiya
Gram Panchayat, Hissar, Benipatti, Madhubani

To,
Shri Rajiv Pratihast
CMP School, Hissar
Benipatti, Madhubani